

के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रगायी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा प्रयोग करने की प्रयोग किया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश परीक्षा कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआरपीओटीआर से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विनयो/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करना के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्ली का इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीपीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और दिल्ली रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी बाध उत्पन्न किया जाता है तथा संबंध धार के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संस्था आदेश विन्योत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली का इन फार्मसी पाठ्यक्रम समाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व पीपीआईओटीआर से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (स्वायत्तनिर्देशों के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों विनयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृतियां, स्टाफ, सत्र-संख्या, संचालन, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु सम्युक्त मातृकारण उपलब्ध कराने के साथ रोजींग होना न सम्भव के समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह पुनिश्चित ले ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्रान, कमीटर, लक्षण, इत्यादि, का धार संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था फायरिंग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुपस्था को जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण से दिल्ली में विद्यमान उत्तर अद्वितीयता-कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तार दिनांक: 15-8-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, सचयान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डिपेंड-गोहाई, ब्लाक-बखीरा, बरिहापुर-286122

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक-सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनूमेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3027-BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY,VILL-MOHARRA BLOCK-JAKHORA ,LALITPUR-284122

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमेदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमेदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It includes a detailed description of the survey instrument and the procedures followed to ensure the reliability and validity of the data.

3. The third part of the document presents the results of the data analysis, including a summary of the key findings and a discussion of their implications for the business. It highlights the strengths and weaknesses of the current operations and provides recommendations for improvement.

4. The fourth part of the document discusses the limitations of the study and the potential for future research. It acknowledges the constraints of the data and the methods used and suggests areas for further investigation to enhance the understanding of the business environment.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a final summary of the key points discussed throughout the report. It reiterates the importance of continuous monitoring and evaluation of business performance and the role of data-driven decision-making in achieving long-term success.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a bibliography, providing a comprehensive overview of the sources used in the research. It also includes a list of appendices and a glossary of terms used throughout the document.

7. The seventh part of the document discusses the ethical considerations and the potential for bias in the data collection and analysis process. It outlines the steps taken to ensure the integrity and objectivity of the research and the measures taken to protect the confidentiality of the data.

8. The eighth part of the document provides a detailed description of the data collection and analysis process, including a list of the variables measured and the methods used for data collection and analysis. It also includes a list of the statistical tests used to analyze the data and the results of these tests.

9. The ninth part of the document discusses the implications of the findings for the business and the potential for future research. It highlights the key findings and their implications for the business and provides recommendations for improvement. It also discusses the potential for future research to enhance the understanding of the business environment.